IJAER/Nov-Dec 2022/Volume-11/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निजी प्रबंधन कॉलेजों की भूमिका

Neera Kumari
Research scholar
Dept. Of Education, OPJS University, Churu, Rajasthan.

Dr. Suman Sharma
Associate professor
OPJS University, Churu, Rajasthan

सार

भारत में, उच्च शिक्षा में निजीकरण पर जोर 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति के तहत शुरू हुआ और राज्यों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र से अपना हाथ खींचने के लिए विभिन्न माध्यमों को अपनाया गया। निकासी के रूप में अनुदानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, भर्ती पर प्रतिबंध और जनशक्ति आवश्यकताओं की गैर–समीक्षा शामिल थी।

जैसा कि विभिन्न राज्यों ने उच्च शिक्षा को गैर–योग्यता क्षेत्र घोषित किया, निजी खिलाड़ियों, वाणिज्यिक संस्थाओं, शिक्षा हॉक्स और फ्लाई–बाय–नाइट ऑपरेटरों ने बदले हुए परिदृश्य के तहत सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसने अनिवार्य रूप से स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रम (सार्वजनिक सहायता प्राप्त संस्थानों में भी), स्व–वित्तपोषित संस्थानों की स्थापना, डीम्ड–टू–बी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने और राज्य के कानून के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए कोलाहल का कारण बना।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निजीकरण प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है और दक्षता, गुणात्मक सुधार और लागत में कमी लाता है, लेकिन यह कुछ इष्टतम पूर्ण प्रतिस्पर्धी स्थितियों के तहत होता है। पिछले दो दशकों में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में तेजी से वृद्धि हुई है।

परिचय

निजी महाविद्यालयों की भागीदारी दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। निजी संस्थान अब व्यावसायिक उच्च शिक्षा में नामांकन का चार–पांचवां हिस्सा और समग्र उच्च शिक्षा में एक–तिहाई का योगदान करते हैं। उच्च शिक्षा पर फिक्की और अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 91 फीसदी इंजीनियरिंग स्कूल, 95 फीसदी फार्मेसी, 64 फीसदी बिजनेस और 50 फीसदी मेडिकल स्कूल गैर–सरकारी हैं। देश भर के 31,000 उच्च शिक्षण संस्थानों में 1.4 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 31,000 संस्थान हैं, जबकि अमेरिका में 6,742 और चीन में 4,297 संस्थान हैं। पिछले कुछ वर्षों में संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में 5,000 से अधिक कॉलेज अस्तित्व में आए। पिछले दशक में, देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में 7.5 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई है, जबकि 1951–2001 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। 2001–2021 की अवधि में कॉलेजों की संख्या 11 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ी है, जबकि 1951–2021 की अवधि में यह 6.1 फीसदी थी।

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना उस राज्य की विधान सभा द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की जाती है जिसमें राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थित है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के कारण निजी क्षेत्र ने राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के अवसरों का लाभ उठाया है। कुछ राज्यों ने आक्रामक रूप से राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया है जबकि अन्य सतर्क रुख अपना रहे हैं।

शिक्षा के तीन स्तर हैंय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर। पहले दो स्कूल स्तर पर प्रदान किए जाते हैं, जबकि उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है। शिक्षा के प्रदाता दो प्रकार के हो सकते हैंरू सार्वजनिक और निजी। निजी संस्थानों को आंशिक रूप से सरकार (सहायता प्राप्त) या पूरी तरह से स्व–वित्त पोषित (अनएडेड) द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। सार्वजनिक संस्थान सरकार द्वारा स्थापित, वित्त पोषित और प्रबंधित किए जाते हैं।

निजी कॉलेज और शिक्षा संस्थान अक्सर कदम उठाते हैं जब सरकार के पास शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। अधिकांश बाजारों में, निजी क्षेत्र को एक लाभ–उद्देश्य की विशेषता है। हालांकि, जब शिक्षा की बात आती है, तो निजी क्षेत्र को लाभ के लिए नहीं के आधार पर काम करना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि शिक्षा के कुछ निजी प्रदाता नियामक निरीक्षण की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं और छात्रों से उच्च शुल्क वसूलने के कारण पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं।

दूसरी ओर, कुछ लोग उच्च शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप निवेश और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को आवश्यक मानते हैं। मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति वर्तमान में श्उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिकाश विषय की जांच कर रही है। इस संदर्भ में, हम भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। यह नोट नियामक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है और निजी उच्च शिक्षा के संबंध में प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

प्रगति हुई है भारत निश्चित रूप से 1950–51 में 28 विश्वविद्यालयों और 578 कॉलेजों से 500 से अधिक विश्वविद्यालयों और वर्तमान में 25,000 से अधिक कॉलेजों तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। आज, देश में दुनिया में सबसे अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं और करीब 20 मिलियन छात्र नामांकित हैं। उच्च शिक्षा के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 की कार्य योजना द्वारा शासित है।

केंद्र में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नीतियां बनाता है, और देश में शिक्षा से संबंधित कानूनों और योजनाओं को लागू करता है। मंत्रालय के तहत, उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार के स्तर पर, शिक्षा विभाग इसी तरह के कार्य करते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, आदि जैसे क्षेत्रों में विशेष पेशेवर विषयों की पेशकश करने वाले संस्थानों को उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निजी प्रबंधन कॉलेजों की भूमिका

उच्च शिक्षा के लिए मुख्य नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) हैं। इसके अलावा, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विनियमित करने वाली 15 व्यावसायिक परिषदें हैं। ये संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय हैं जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आदि।

यूजीसी के पास डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता, कामकाज और मान्यता रद्द करने के संबंध में शक्तियां हैं। इसे अन्य विश्वविद्यालयों को उनके रखरखाव और विकास के लिए अनुदान देने और विश्वविद्यालयों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को विनियमित करने का भी अधिकार है। यूजीसी मानकों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अनुदान वापस लिया जा सकता है या किसी विश्वविद्यालय से कॉलेज की संबद्धता समाप्त की जा सकती है, यदि कॉलेज शुल्क और अन्य नियमों का पालन नहीं करता है।

मात्रात्मक विस्तार के साथ–साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। प्रत्यायन संस्थानों की ऐसी गुणवत्ता को मापने का एक तरीका है। यह उन संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने की प्रक्रिया है जिन्हें कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए।

एक बार इन पर विचार करने के बाद मान्यता प्राधिकारी द्वारा संस्थान को अंतिम ग्रेड दिया जाता है। इस तरह की समीक्षा प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य मुख्य रूप से संभावित छात्रों को संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने और इस तरह एक सूचित विकल्प बनाने में मदद करना है। यह संस्थानों को योजना की ताकत, कमजोरियों और आंतरिक क्षेत्रों की पहचान करने में भी सक्षम बनाता है। यह फंडिंग एजेंसियों को डेटा प्रदान करने के साथ–साथ स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। भारत में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद 1994 में यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्य कार्य उन संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है जो इसके लिए स्वयंसेवा करते हैं।

किसी संस्थान का पुनर्मूल्यांकन पांच साल की अवधि के बाद होता है। एक संस्थान उस ग्रेड के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे परिषद द्वारा मान्यता दी गई है, इस तरह के ग्रेड को प्राप्त करने के एक वर्ष के बाद, लेकिन तीन साल से अधिक नहीं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।

उच्च शिक्षा (विशेषकर इंजीनियरिंग कॉलेज) में भारतीय छात्रों के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम अधिकांश मामलों में अप्रचलित है। विषय हठधर्मी और बासी हैं और उन चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही दुनिया भर में लागू की जा चुकी हैं। गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, पाठ्यक्रम को प्रगतिशील होना चाहिए। छात्रों को पहले वर्ष या सेमेस्टर के बाद जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे चुनने की क्षमता के साथ, पहले वर्ष में कई पाठ्यक्रमों के विकल्प की पेशकश की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम की भावना परीक्षा के इर्द–गिर्द न होकर परियोजनाओं के इर्द–गिर्द घूमनी चाहिए। ठहराव से बचने के लिए नवाचार करने की आवश्यकता है।

मापने के लिए परीक्षा मौजूद होनी चाहिएय हालांकि, उन्हें अंतिम परीक्षा के लिए 50ः और परियोजनाओं के लिए 50ः जैसे नवीन विचारों के साथ बधाई देने की आवश्यकता है। परियोजनाओं को जगह में संकाय के बजाय स्वतंत्र संकाय सदस्यों द्वारा आंका जाना चाहिए। छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार या बुनियादी मानदंडों के औचित्य के बाद अन्य धाराओं में स्विच करने की क्षमता भी दी जानी चाहिए। जब हम स्ट्रीम कहते हैं, तो यह इंजीनियरिंग के साथ सरल होना चाहिए, लेकिन एक वाणिज्य स्ट्रीम में स्थानांतरित करना कठिन हो सकता है (यह मानते हुए कि संस्थान इन सभी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक पूर्ण विश्वविद्यालय है)। इसे आकार लेने के लिए, हमें युवा, गतिशील संकाय सदस्यों की आवश्यकता है जो अकादमिक पाठ्यक्रम बोर्डों का हिस्सा हों।

शैक्षणिक बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य रूप से उनके 60 और 70 के दशक में शिक्षकों द्वारा की जाती है। हम इन शिक्षकों के लिए आक्रामक नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली में युवाओं और अनुभव के स्वस्थ मिश्रण के लिए युवा व्याख्याताओं और प्रोफेसरों की आवश्यकता है। युवा शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए चयन करने वाले छात्रों की तकनीकी परिवर्तनों और नए युग की आवश्यकताओं से संबंधित होने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

एक अन्य कारक जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि भारत में शिक्षकों को अन्य व्यवसायों की तुलना में मूंगफली का भुगतान किया जाता है। जिन छात्रों ने स्नातक किया है, वे कुछ कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों या व्याख्याताओं की तुलना में आईटी संगठन में अधिक कमाते हैं। यह सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के लिए छठे वेतन आयोग के माध्यम से वृद्धि के बावजूद है।

भुगतान में वृद्धि से शिक्षकों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा, क्योंकि अब शिक्षण का आनंद लेने वाले शिक्षक पेशा अपनाएंगे। इस उपाय के बाद, पाठ्यक्रम बोर्डों में युवा प्रोफेसरों की सुविधा होगी, जिसमें बहाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सवाल यह उठता है कि अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा।

यह हास्यास्पद लग सकता हैय हालांकि, सावधानीपूर्वक सोचने के बाद, यह एक अच्छा विचार है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि निजी कॉलेज राजस्व पैदा करने वाले संस्थान हैं, जो ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट संगठनों के रूप में चलते हैं। समाधान

ष्यौर–लाभकारीष् के टैग को हटाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में निहित है। निजी कॉलेजों को एक–दूसरे के साथ खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करने दें, न कि इसे कालीन के नीचे से बाहर निकालने के लिए।

उसे यह महसूस करना चाहिए कि शिक्षा भी एक व्यवसाय है, और जितना अधिक हम इसे अनदेखा करने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचार की घटनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। यदि संस्थान समग्र मानकों में सुधार के लिए शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में मान रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। पश्चिम में विश्व–स्तरीय संस्थान इसी तरह संचालित होते हैं, और हमें उनके नक्शेकदम पर चलना चाहिए। आगे का आदर्श तरीका निजी संस्थानों को लाभ के साथ–साथ कर योग्य बनाना है। इससे पूंजी बढ़ेगी और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

साहित्य की समीक्षा

ब्लूम, डी।, कैनिंग, डी।, और चान, के। (2015) उन्होंने निजी कॉलेजों को आगे बढ़ने और 21 वीं सदी और उससे आगे की मांगों को पूरा करने के लिए कहा, शासन और गुणवत्ता आश्वासन को पूरक गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटकों के रूप में माना जाना चाहिए। जो कई गतिशील चुनौतियों से भरे वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। उच्च शिक्षा में शासन को संस्थागत, प्रणाली–व्यापी, या राज्य स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के निर्णय लेने की संरचना और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैय गुणवत्ता जवाबदेही और अखंडता के सार्वजनिक रूप से स्वीकृत मानकों के भीतर मिशन विनिर्देश और लक्ष्य उपलब्धि के अनुरूप है। समीक्षा किए गए साहित्य को शासन और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संबंध के दो विद्वानों के दृष्टिकोण में वर्गीकृत किया जा सकता हैरू उच्च शिक्षा में शासन के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में गुणवत्ता आश्वासन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में शासन, और परिवर्तन और वातावरण जो उच्च शिक्षा के शासन को समस्याग्रस्त बनाते हैं, जिससे गुणवत्ता में गिरावट में योगदान होता है।

हेनार्ड और मिटरले (2020) के अनुसार, शासन और गुणवत्ता आश्वासन बारीकी से जुड़े हुए हैं। शासन व्यवस्था के नियमों में आंतरिक स्व–विनियमन नीतियां, साथ ही बाहरी निर्देश शामिल हैं जो निरीक्षण, बाहरी लेखा परीक्षा, मान्यता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, व्यापक रूप से फैले ष्गुणवत्ता मार्गदर्शनष् को एक बाध्यकारी पहलू और शासन के मुद्दों को शामिल करने की प्रवृत्ति के कारण एक स्व–विनियमन शक्ति माना जाता है।

सालमी (2019) ने संकेत दिया कि प्रतिभा, धन, और उपयुक्त शासन उन संस्थानों की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें उच्च रैंकिंग माना जाता है। यह भी संकेत दिया गया कि सफल संस्थान ष्अग्रणी अनुसंधान करनेष् के लिए जाने जाते हैं और अच्छे प्रबंधकीय कौशल वाले नेता होते हैं जो कौशल और ज्ञान के साथ संस्थानों के दृष्टिकोण को लागू कर सकते हैं।

माटेरू (2017) ने अफ्रीका में उच्च शिक्षा में समानता की चुनौतियों के अपने आकलन में कहा कि संस्थानों तक पहुंच का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा राजनीतिक दबाव और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अकादमी की इच्छा के बीच द्विभाजन के परिणामस्वरूप स्वस्थ संस्कृति नहीं हुई है। गुणवत्ता का। उन्होंने प्रमुख कारकों की पहचान की जो अफ्रीका में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों को प्राप्त करते हैं, जिसमें अन्य के अलावा, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि और मानव पूंजी का प्रतिधारण शामिल है। माटेरू ने खराब शासन को उन मुख्य कारकों में से एक के रूप में पहचाना जिन्होंने अफ्रीका में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान दिया है। छात्रों और प्रशिक्षकों के वित्त पोषण और योग्यता के साथ–साथ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए शासन एक महत्वपूर्ण साधन है।

तेलिला (2020), इथियोपिया में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर हाल के साहित्य की समीक्षा में, निष्कर्ष निकाला है कि इथियोपिया का शैक्षिक विस्तार प्राथमिक से तृतीयक शिक्षा तक शिक्षा क्षेत्र में खराब गुणवत्ता के प्रसार से ग्रस्त है। तेलिला के अनुसार, वर्तमान शिक्षा नीति से जुड़ी समस्याओं के कारण इथियोपिया की शिक्षा प्रणाली गहरे संकट में है। इस अध्ययन ने मौजूदा गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के प्रभाव को निजी कॉलेजों में शासन के प्रमुख घटक के रूप में माना।

मोर्टिमर और साथरे (2017) ने एक ऐसे माहौल में एक विश्वविद्यालय को संचालित करने की कठिनाई पर चर्चा की जहां बाजार और संबंधित बाहरी ताकतें प्रक्रिया के बजाय परिणामों के लिए उच्च शिक्षा को जवाबदेह ठहराती हैं। वे कहते हैं कि राजनीतिक रूप से जानकार, बाजार में स्मार्ट, और मिशन–केंद्रित नेताओं को प्रतिस्पर्धात्मक हितों के जंगल के माध्यम से अपने संस्थानों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए शासन की कला का उपयोग करना चाहिए। उन प्रमुख कॉलेजों की चुनौती से निपटने के लिए शिक्षकों को एक आदर्श बदलाव करना चाहिए जो अपरिहार्य तेजी से बाहरी रूप से लगाए गए परिवर्तनों के अधीन हैं। प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन आवश्यक है यदि स्कूलों और कॉलेजों को उनके कई हितधारकों द्वारा निर्धारित व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, विशेष रूप से सरकारें जो सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए अधिकांश धन प्रदान करती हैं।

अली, आई. (2019) ने श्भविष्य की संभावनाओंश को जोड़ा है, यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय स्नातक होने के बाद छात्रों को उनके करियर के लिए कैसे तैयार करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि शैक्षणिक संस्थानों को बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्वीकृत दुनिया का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में छात्र का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने नोट किया कि छात्र कॉलेज में अपने अनुभव के माध्यम से संज्ञानात्मक कौशल, कैरियर की प्रगति और व्यावसायिक कौशल हासिल करते हैं, जो कॉलेज के प्रति वफादारी बनाए रखने में मदद करेगा। नियोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम, पेशेवरों के साथ सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय छात्र सम्मेलनों को पूरक शिक्षा आयाम के तहत चर के रूप में उपयोग किया जाता है।

बाल्डविन, जी., और जेम्स, आर. (2020) मानते हैं कि जब पाठ्यक्रम चुनौतीपूर्ण होता है, तो छात्र सकारात्मक सेवा गुणवत्ता का अनुभव करते हैं और इस तरह संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों से कक्षा में सीखने और विषय के पूरा होने पर परीक्षा देने तक ही सीमित नहीं है। जबकि परीक्षा यह जांचने के लिए महत्वपूर्ण है कि छात्रों ने कितना सीखा है, छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक क्षेत्र में सैद्धांतिक अनुप्रयोग प्रदान करने में पाठ्यक्रम कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

विचार विमर्श

शिक्षा के विकास में प्रमुख स्तंभों में से एक छात्रों और उद्योग के बीच बातचीत का स्तर है। इस तरह की बातचीत के लिए अग्रणी कंपनियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जब कॉरपोरेट घराने प्लेसमेंट के लिए कॉलेजों में जाते हैं, तो छात्रों को प्लेसमेंट के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, छात्रों को आर एंड डी के माध्यम से कॉलेज की आय में योगदान करके अपनी योग्यता दिखानी चाहिए। बाकी कंपनियां भी इसका पालन करेंगी क्योंकि उनके लिए मानव संसाधन का अत्यधिक महत्व है। जब एक आईटी कंपनी 600 से 1,000 पेशेवरों की भर्ती कर रही है, तो उन्हें कुछ लाख की परवाह नहीं होगी।

जब कोई संस्थान इतना अधिक मानव संसाधन प्रदान करता है, तो कंपनियों के लिए प्रस्ताव को अनदेखा करना कठिन होता है। यह रणनीति संस्थान को अपनी मानवीय क्षमता का अनुकूलन करने और उद्योग की बातचीत को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगी। अंततः, इस निवेश से छात्र के सीखने के अनुभव में सुधार होगा। इन छात्रों को तब स्नातक होने के बाद अपने संबंधित संस्थानों को वापस देने की आवश्यकता महसूस होगी।

भारत एक बड़ा देश है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 18 से 23 वर्ष के बीच की आयु के लगभग 150 मिलियन है। बाजार का विशाल आकार भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है। भारत में अब 33,000 से अधिक कॉलेज और 659 विश्वविद्यालय होने का दावा है, जो पिछले छह दशकों के दौरान काफी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 2012 में 21.4 मिलियन नामांकन हुए, जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बनाता है। दुर्भाग्य से, भारत का शैक्षिक बुनियादी ढांचा इतनी बड़ी मात्रा को संभालने के लिए अपर्याप्त है। शैक्षिक क्षेत्र में सभी सरकारी खर्च के बावजूद, बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बहुत ही अपर्याप्त है।

इसलिए, निजी उच्च शिक्षा क्षेत्र को अब निजी और विदेशी निवेश के लिए आशाजनक क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह गैर–विनियमित और विनियमित दोनों क्षेत्रों में निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन चुनौतियों को दूर नहीं किया जा सकता है।

नए जमाने के शिक्षण उपकरणों की मदद से भारत जैसे देश के लिए इन समस्याओं को दूर करना और देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाना आसान है। विशाल आबादी वाले ऐसे जीवंत देश के साथ उचित रूप से शिक्षित होने की संभावनाएं अनंत हैं।

यदि उन्नत डिजिटल शिक्षण और शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके ज्ञान प्रदान किया जाता है, और समाज को इस बात से अवगत कराया जाता है कि हम वर्तमान में कहां पिछड़ रहे हैं, तो हमारा देश आसानी से दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक के रूप में उभर सकता है।

राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा नेतृत्व और प्रबंधन में रणनीतिक जुड़ाव और क्षमता निर्माण के अवसर हैं। भारत के लिए गुणवत्ता आश्वासन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण मान्यता और एकीकृत राष्ट्रीय योग्यता ढांचे सहित प्रणालीगत सुधार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के अवसर हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसर की समानता को इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि उच्च शिक्षा आय और धन की असमानताओं को कम करने या समाप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

शैक्षिक अवसरों को समान करने का विचार इस तथ्य में भी निहित है कि ष्उच्च शिक्षा द्वारा लाभ की क्षमता सभी वर्गों के लोगों में फैली हुई है। समाज में अप्रयुक्त क्षमता के महान भंडार हैंय मौका दिया जाए तो वे शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। वास्तव में, उच्चतम स्तर की प्रतिभा का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा की एक असमान प्रणाली द्वारा खो गया हैष्। स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता उद्यम शिक्षा और उद्यमिता में सहयोग के लिए प्रवेश बिंदु, उद्योग के साथ संबंध, अनुसंधान कौशल और अंग्रेजी सहित हस्तांतरणीय कौशल की विस्तृत श्रृंखला पेश कर रही है।

व्यावसायिक कौशल बाजार में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में उभरती दिलचस्पी अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ संभावित जुड़ाव के लिए क्षेत्र प्रदान करती है। मंचों (सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों) में समर्थन और भागीदारी बढ़ाकर उच्च शिक्षा में मजबूत संबंध बनाने और आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है जो दुनिया के अन्य देशों के साथ बहस और संवाद को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा संस्थानों का सार्वजनिक और निजी उद्देश्य कोई नया नहीं है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य एक विद्वान पादरी और एक पढ़े–लिखे लोगोंष का उत्पादन करना और शिक्षार्थियों को बड़े पैमाने पर समाज की स्थितियों में सुधार की दिशा में काम करने के लिए विकसित करना था। उच्च शिक्षा के साथ हम कई भूमिकाओं और चीजों को बदल सकते हैं जैसेरू लोकतांत्रिक समानता, सामाजिक दक्षता और सामाजिक गतिशीलता आदि। आम तौर पर, यह सुझाव दिया गया है कि उच्च शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और समाजीकरण सहित कई गैर–आर्थिक लाभ प्रदान करने चाहिए। उच्च शिक्षा एक अच्छी तरह से विकसित

मानव संसाधन की आपूर्ति करके नेतृत्व प्रदान करती है जो अंततः भारत में व्यवस्थित विकास के संचालन की जिम्मेदारी लेती है।

संदर्भ

1. गर्ग स्वाति और उमरजी विनय, क्या उच्च शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव? , बिजनेस स्टैंडर्ड, 16 जनवरी, 2019 को लिया गया।

2. भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारीरू फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019

3. रिपोर्ट टू द नेशन 2006–2009, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मार्च 2009

4. विप्लव शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, 2016 की रिट याचिका (सिविल) 142।

5. शगुरी, ओबद्य रे, हायर एजुकेशन इन इंडिया एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ईएएन वर्ल्ड कांग्रेस स्कॉलर, ग्लोबल एक्सेस टू पोस्टसेकंडरी एजुकेशन, 2013।

6. कुमार, अनुज और अंबरीश, उच्च शिक्षारू विकास, चुनौतियां और अवसर, कला, मानविकी और प्रबंधन अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 01, संख्या 2, फरवरी 2015

7. शर्मा, साहिल, शर्मा, पूर्णेंदु, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणालीरू चुनौतियां और सुझाव, समावेशी शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, वॉल्यूम। 3, नंबर 4, 2015, पीपी.3–4।

8. ब्लूम, डी।, कैनिंग, डी।, और चान, के। (2015) अफ्रीका में उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास विश्व बैंक (एएफटीएचडी) द्वारा कमीशन किया गया एक शोध पत्र। बोस्टन, एमए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

9. हेनार्ड, एफ।, और मिटरले, ए। (2020) उच्च शिक्षा में शासन और गुणवत्ता दिशानिर्देश शासन व्यवस्था और गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों की समीक्षा। पेरिस, फ्रांस ओईसीडी।

10. सल्मी, जे। (2019) विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की चुनौती। वाशिंगटन, डीसी विश्व बैंक

11. मटेरू, पी. (2017) उप–सहारा अफ्रीका में उच्च शिक्षा गुणवत्ता आश्वासनरू स्थिति, चुनौतियां, अवसर और आशाजनक प्रथाएं (विश्व बैंक वर्किंग पेपर नंबर 124)। वाशिंगटन, डीसी विश्व बैंक

12. तेलिला, एल। (2020) कुछ हालिया साहित्य की समीक्षा इथियोपिया के शिक्षा संकट को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना। इथियोपियन ई–जर्नल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फोरसाइट, 2(2), 56–68